

प्रेषक,

संख्या-

/ 111(2) / 15-37 (प्रा०आ०) / 2015

अरविन्द सिंह हयांकी
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे.

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: (८ अगस्त, 2015)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 10 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार विभिन्न 10 कार्यों की प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणारों, जिनकी लम्बाई 37.50 किमी० + 02 सेतु सहित तथा लागत ₹ 434.99 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 434.99 लाख (₹ चार करोड़ चौंतीस लाख निन्यानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं०-५ पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 10 कार्यों हेतु ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-1764 / 111(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिटंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखाषीर्शक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाधीशक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों –आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-423/xxvii/(2)/2015 दिन:- 17 अगस्त, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक— यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव

संख्या:- 6096 / 111(2) / 15-37(प्र03A0) / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल / कुमार्यू मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

छाना पति संयापित

सङ्कायक प्रभावन्ता
प्रान्तीय वाड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

आज्ञा से,
(ए०४८०पांगती)
उप सचिव

शासनादेश संख्या:- 6096 / 111(2) / 15-37(प्रा०आ०) / 2015 दिनांक 18 अगस्त, 2015 का संलग्नक
 (धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	कुल स्वीकृत लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के अन्तर्गत कोसी दौलाघाट मोटर मार्ग से धोतीगाड़-पंचगांव-स्यूरा लिंक रोड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00+ 30 mtr	23.98	0.10
2	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र- धनौलटी के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत थुरेटी से धियाल तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	140.00	0.10
3	जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र- बाजपुर के अन्तर्गत ग्राम जुड़का में गांधीनगर से बंजारी हाट तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	8.81	0.10
4	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में कोटी-रोल्यालू की से बोर गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	63.30	0.10
5	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में सूलिया से वाल्काखाल हल्का वाहन मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	7.50	34.50	0.10
6	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में काण्डीखाल से इन्डर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	4.00	25.60	0.10
7	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में कण्डियालगांव से सुनारगांव मसेथ तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	4.00	24.16	0.10
8	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के विकास खण्ड थौलधार में सेलूर अगानसिद्ध पीठ मोटर मार्ग से वाल्काखाल तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	2.00	9.20	0.10
9	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र- प्रतापनगर के अन्तर्गत पणसूल-शुक्री मोटर मार्ग के डोडगा नामे तोक से सौँड़ खोला माजफ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	102.21	0.10
10	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र-पुरोला के विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ग्राम कुनारा के घाट खड़ड में 13 मी. स्पान पैदल आर.सी.सी. पुल का निर्माण कार्य।	13 mtr.	3.23	0.10
	योग:-	37.50 + 02 Brg	434.99	1.00

(कुल ₹ एक लाख मात्र)

एवा प्रति सत्यापित

प्रान्तीय उड़, लो०नि०वि०
 अल्मोड़ा

(ए०ए०पांगती)
 उप सचिव